प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉमप्लेक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद–इलाहाबाद, झांसी, लखनऊ एवं कानुपर नगर।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2015–16/11918–5 दिनांक 31/03/2016

विषयः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) को स्थापित किये जाने के विषय में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है प्रदेश का **IMR** 50 प्रति 1000 जीवित जन्म (SRS 2013) एवं का **NMR** 35 प्रति 1000 जीवित जन्म (SRS 2013) जो क्रमशः राष्ट्रीय औसत 40 प्रति 1000 जीवित जन्म एवं 28 प्रति 1000 जीवित जन्म से अधिक है जिसके दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं को तत्काल उचित उपचार एवं सलाह प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के 5 नये जनपदों के जिला महिला चिकित्सालयों में **सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU)** की आवश्यकतानुसार निर्माण/सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण किया जाना है। जनपद स्तर पर एस0एन0सी0यू0 के मानक एवं स्थापना के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी "ऑपरेशनल गाइडलाइन" के अंश वेब साइट **upnrhm.gov.in** पर सुलभ सन्दर्भ हेतु उपलब्ध है का अवलोकन कर एक आर्दश इकाई स्थापित कर क्रियाशील किया जाना है।

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 की सप्लीमेन्ट्री आर0ओ0पी0 में एस0एन0सी0यू0 को स्थापित कर क्रियाशील किये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निम्नवत हैं:–

1- "सिक न्यूबोर्न केयर इकाई" (SNCU) हेतु One time Establishment Cost-

वित्तीय वर्ष 2015–16 में FMR Code- A.2.2.1 पर सिक न्यूबोर्न केयर इकाई को स्थापित कर क्रियाशील बनाये जाने के लिये आवश्यक छोटी–मोटी मरम्मत हेतु अधिकतम रू0 4.00 लाख की धनराशि एवं रू0 8.00 लाख की धनराशि का उपयोग विद्युतीकरण, अर्थिंग विधुत उपकरण इत्यादि तालिका–1 के अनुसार उपयोग किया जाना है।

तालिका–1

S.N.	FMR Code	Item	Amount (In Lacs)
1	A.2.2.1	One time Establishment Cost for repair and renovation per SNCU @ 4.00 Lacs	4.00
		One time Establishment Cost for procurement of general Equipment **(Table 1.1)**	8.00

Table- 1.1 : Items, which can be procured at District Level

Table 1.1		
S.N.	**Item**	**Quantity**
1	1.5 Ton split AC	2
2	1.0 Ton Split AC	2
3	Voltage Stabilizer 4 KVA	2
4	Voltage Stabilizer 3 KVA	2

2- "सिक न्यूबोर्न केयर इकाई" (SNCU) की स्थापना हेतु उपकरण एवं साम्रग्री

- FMR Code- B16.1.2.2 पर एस0एन0सी0यू0 के विशिष्ट उपकरणों के क्रय (Procurement of equipment for SNCU) हेतु नीचे दी जा रही **तालिका–2** अनुसार रू0 25.00 लाख की धनराशि का उपयोग (**संलग्न तालिका के अनुसार**) किया जाना है।
- इकाई की स्थापना हेतु एक बार के लिये एस0एन0सी0यू0 के अन्य उपकरण, मेज, कुर्सी इत्यादि अन्य तथा नीचे तालिका–2.1 के अनुसार उपकरणों के क्रय हेतु रू0 4.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है। सामग्री उच्च कोटि एवं अच्छे स्टैण्डर्ड (Standard) की होनी चाहिये। तालिका–2

S.N.	FMR Code	Item	Amount (in Lacs)	Total Amount (in Lacs)
1	B16.1.2.2	Procurement of Equipment for SNCU	25.00	29.00
2		other Equipment & Furniture for SNCU **(Table -2.1)**	4.00	

Table- 2.1 : Items, which can be procured at District Level

Table- 2.1		
S.N.	**Item**	**Quantity**
1	Revolving chairs	4
2	Revolving stool	6
3	Single beds	2
4	Bed mattresses	2
5	Pillow	4
6	Almirah	4
7	Heat radiator	4
8	Refrigerator 180 ltr	1
9	Washing machine	1
10	Vacume cleaner	1
11	Desktop	1
12	Printer	1
13	UPS	1

नोट :– उक्त उपकरणों के क्रय से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि इन्हें पूर्व में क्रय नहीं किया गया है इसका डुप्लीकेशन न किया जाये।

Table- 3: Disposables (These items should be supplied regularly to the SNCU)

a.	**Disposable Items**
	• Cord clamp • Dee Lee's Mucus trap • Neoflon (intra venous catheter) 24 G • Microdrip set with and without burette • Blood transfusion set • 3 way stop clock • Suction catheter size # 10, 12 Fr • Endotracheal tubes size # 2.5, 3, 3.5 mm • Feeding tubes size # 5,6,7 Fr • Syringes : tuberculin, 1,2,5,10, 50 cc with needle nos. 22,24, 26 • Sterile gloves and drapes • Chemical disinfectants : Cidex, Bacillocid, Liquid soap and detergent, sterilium, savlon, phenol, Lysol, betadine and rectified spirit • Glucostix and multistix stripes (in containers) • Capillary tubes for microhematocrit (in containers) • Cotton, surgical gauze • Normal saline, 10% dextrose infusion bottles
b.	**Life saving drugs for Emergency**

3- **सिक न्यूबोर्न केयर इकाई"** (Sick Newborn Care Unit) के लिये 12 शैय्याओं हेतु आवश्यक उपकरणों की सूची पत्र के साथ संलग्न की जा रही है इस हेतु रू0 25.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उपकरणों के क्रय के विषय में **भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पेशिफिकेशन के अनुसार, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा उपलब्ध कराये गये रेट कॉन्ट्रैक्ट पर ही उपकरण क्रय किये जाने है। क्रय नियमों का कड़ाई से पालन किया जाये। क्रय किये जाने वाले उपकरणों की सूची संलग्न की जा रही है।**

- **संलग्न सूची में दिये गये अन्य छोटे मोटे उपकरणों जिनका रेट कान्ट्रेक्ट उपलब्ध नहीं है, उन उपकरणों को चिकित्सालय में उपलब्ध सामग्री से उपलब्ध कराया जाय या राजकीय क्रय नियमों के अनुसार क्रय किये जायें।**

4- मानव संसाधन की व्यवस्था हेतु भारत सरकार से अनुमोदनोपरान्त दिशा निर्देश एवं धनराशि पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

5- **वित्त पोषण**

5 नवीन **"सिक न्यूबोर्न केयर इकाई"** (Sick Newborn Care Unit) की स्थापना किये जाने हेतु FMR Code-A.2.2.1 "One time Establishment Cost per SNCU @12.00 Lacs" एवं FMR Code- *B16.1.2.2* "5 New SNCU Equipment & furniture=5 X2900000 = 145.00" के अनुसार प्रति इकाई 41.00 लाख की धनराशि जनपद के सम्मुख नीचे दी गयी तालिकानुसार जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त की जा रही है। धनराशि प्राप्त होते ही धनराशि शीघ्र प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका जिला महिला चिकित्सालय को स्थानान्तरित करने का कष्ट करें।

District wise Funds for Districts 5 New SNCU Supp-ROP 2015-16						
S. N.	Name of Districts	Name of Unit	One time Establishment Cost per SNCU @12.00 Lacs	5 New SNCU Equipment & furniture=5 X2900000 = 145.00 Lakhs	Total Funds (Amount Rs.)	Total Funds To be released DHS (Rs. in Lacs)
FMR Code			*A.2.2.1*	*B16.1.2.2*		
1	Allahabad	Allahabad DWH	1200000	2900000	4100000	41.00
2	Jhansi	Jhansi DWH	1200000	2900000	4100000	41.00
3	Lucknow	Dr.Ram Manohar Lohia Hospital, Lucknow	1200000	2900000	4100000	82.00
4		Lokbandhu Raj Narayan Hospital, Lucknow	1200000	2900000	4100000	
5	Kanpur Nagar	MKCH &TRAUMA CENTRE Kanpur Nagar	1200000	2900000	4100000	41.00
Total funds Released to DHS (In Rs.)			60.00	145.00	205.00	205.00

नोटः–

- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
- स्वीकृत मद का पुर्नियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाय साथ–साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये, कि स्तम्भ संख्या–2 में अंकित एक पूल की धनराशि किसी अन्य पूल में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसें लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का राजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियाँ समय से पूर्ण

कराये साथ ही सत्यापन भी नियमित रूप से सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें।

- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
- आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखा पुस्तकों की पृविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाय तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में पृविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
- व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी को निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
- किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये जिला महिला चिकित्सालय के मुख्य/प्रमुख अधीक्षिका एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
- प्रत्येक माह एस0एन0सी0यू0 से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
- जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।

6- **कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन**

सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट की क्रियाशीलता बनाये रखने के लिये उपकरणों का रख रखाव, विद्युत आपूर्ति एवं अर्थिगं महत्वपूर्ण है। विद्युत वायरिंग, अर्थिंग आदि मानक के अनुसार पूर्ण करने की जिम्मेदारी प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका जिला महिला चिकित्सालय की होगी। इस हेतु विभागीय इन्जीनियर का सहयोग लेकर सही कार्य कराना सुनिश्चित करें। अतः इसका विशेष ध्यान रखा जाये।

"सिक न्यूबोर्न केयर इकाई" (Sick Newborn Care Unit) हेतु निर्माण कार्य/स्थापना का कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, को स्थापना का कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र तत्काल उपलब्ध करायें ताकि क्रियाशील किये जाने के लिये अग्रिम कार्यवाही की जाय। इस सम्बन्ध में किसी अन्य जानकारी हेतु संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 एवं एस0पी0एम0यू0 के बाल स्वास्थ्य अनुभाग से सम्पर्क कर सकते है।

संलगन—यथोक्त

भवदीय,

31/3/16

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/SNCU / 36 / 2015–16 /   तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ, को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी जनपदों को दिशानिर्देश भेजने एवं एस0एन0सी0यू0 की स्थापना का अनुश्रवण करने का कष्ट करें।
3. सम्बन्धित, ज़िलाधिकारी / अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य सोसाइटी।
4. सम्बन्धित, मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
5. संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0 परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, डा0 राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय, गोमती नगर लखनऊ / लोकबन्धु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय कानपुर रोड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर सभी आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र कराना सुनिश्चित करें।
7. प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, मा0 कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय एवं ट्रामा सेन्टर **कानपुर नगर** / ज़िला महिला चिकित्सालय, **झांसी** एवं **इलाहाबाद** को इस अनुरोध के साथ कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर सभी आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र कराना सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित, मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
9. **ऑफीसर इन्चार्ज हेल्थ, यूनीसेफ,** बी–3 / 258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉमप्लेक्स,
19—ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद—इलाहाबाद, झांसी, लखनऊ एवं कानुपर नगर।

पत्र संख्या—एस0पी0एम0यू0 / CH/SNCU / 36 / 2015—16 /   दिनांक 31 / 03 / 2016

विषयः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) को स्थापित किये जाने के विषय में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है प्रदेश का **IMR** 50 प्रति 1000 जीवित जन्म (SRS 2013) एवं का **NMR** 35 प्रति 1000 जीवित जन्म (SRS 2013) जो क्रमशः राष्ट्रीय औसत 40 प्रति 1000 जीवित जन्म एवं 28 प्रति 1000 जीवित जन्म से अधिक है जिसके दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं को तत्काल उचित उपचार एवं सलाह प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के 5 नये जनपदों के जिला महिला चिकित्सालयों में **सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU)** की आवश्यकतानुसार निर्माण / सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण किया जाना है। जनपद स्तर पर एस0एन0सी0यू0 के मानक एवं स्थापना के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी "ऑपरेशनल गाइडलाइन" के अंश वेब साइट **upnrhm.gov.in** पर सुलभ सन्दर्भ हेतु उपलब्ध है का अवलोकन कर एक आर्दश इकाई स्थापित कर क्रियाशील किया जाना है।

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015—16 की सप्लीमेन्ट्री आर0ओ0पी0 में एस0एन0सी0यू0 को स्थापित कर कियाशील किये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निम्नवत हैंः—

1- "सिक न्यूबोर्न केयर इकाई" (SNCU) हेतु One time Establishment Cost-

वित्तीय वर्ष 2015—16 में FMR Code- A.2.2.1 पर सिक न्यूबोर्न केयर इकाई को स्थापित कर कियाशील बनाये जाने के लिये आवश्यक छोटी—मोटी मरम्मत हेतु अधिकतम रू0 4.00 लाख की धनराशि एवं रू0 8.00 लाख की धनराशि का उपयोग विद्युतीकरण, अर्थिंग विधुत उपकरण इत्यादि <u>तालिका—1</u> के अनुसार उपयोग किया जाना है।

तालिका—1

S.N.	FMR Code	Item	Amount (In Lacs)
1	A.2.2.1	One time Establishment Cost for repair and renovation per SNCU @ 4.00 Lacs	4.00
		One time Establishment Cost for procurement of general Equipment **(Table 1.1)**	8.00

Table- 1.1 : Items, which can be procured at District Level

Table 1.1		
S.N.	**Item**	**Quantity**
1	1.5 Ton split AC	2
2	1.0 Ton Split AC	2
3	Voltage Stabilizer 4 KVA	2
4	Voltage Stabilizer 3 KVA	2

2- "सिक न्यूबोर्न केयर इकाई" (SNCU) की स्थापना हेतु उपकरण एवं साम्रग्री

- FMR Code- B16.1.2.2 पर एस0एन0सी0यू0 के विशिष्ट उपकरणों के क्रय (Procurement of equipment for SNCU) हेतु नीचे दी जा रही **तालिका–2** अनुसार रू0 25.00 लाख की धनराशि का उपयोग (**संलग्न तालिका के अनुसार**) किया जाना है।
- इकाई की स्थापना हेतु एक बार के लिये एस0एन0सी0यू0 के अन्य उपकरण, मेज, कुर्सी इत्यादि अन्य तथा नीचे तालिका–2.1 के अनुसार उपकरणों के क्रय हेतु रू0 4.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है। सामग्री उच्च कोटि एवं अच्छे स्टैण्र्डड (Standard) की होनी चाहिये। तालिका–2

S.N.	FMR Code	Item	Amount (in Lacs)	Total Amount (in Lacs)
1	B16.1.2.2	Procurement of Equipment for SNCU	25.00	**29.00**
2		other Equipment & Furniture for SNCU **(Table -2.1)**	4.00	

Table- 2.1 : Items, which can be procured at District Level

Table- 2.1		
S.N.	**Item**	**Quantity**
1	Revolving chairs	4
2	Revolving stool	6
3	Single beds	2
4	Bed mattresses	2
5	Pillow	4
6	Almirah	4
7	Heat radiator	4
8	Refrigerator 180 ltr	1
9	Washing machine	1
10	Vacume cleaner	1
11	Desktop	1
12	Printer	1
13	UPS	1

नोट :– उक्त उपकरणों के क्रय से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि इन्हें पूर्व में क्रय नहीं किया गया है इसका डुप्लीकेशन न किया जाये।

Table- 3: Disposables (These items should be supplied regularly to the SNCU)

a. Disposable Items

- Cord clamp
- Dee Lee's Mucus trap
- Neoflon (intra venous catheter) 24 G
- Microdrip set with and without burette
- Blood transfusion set
- 3 way stop clock
- Suction catheter size # 10, 12 Fr
- Endotracheal tubes size # 2.5, 3, 3.5 mm
- Feeding tubes size # 5,6,7 Fr
- Syringes : tuberculin, 1,2,5,10, 50 cc with needle nos. 22,24, 26
- Sterile gloves and drapes
- Chemical disinfectants : Cidex, Bacillocid, Liquid soap and detergent, sterilium, savlon, phenol, Lysol, betadine and rectified spirit
- Glucostix and multistix stripes (in containers)
- Capillary tubes for microhematocrit (in containers)
- Cotton, surgical gauze
- Normal saline, 10% dextrose infusion bottles

b. Life saving drugs for Emergency

3- **सिक न्यूबोर्न केयर इकाई"** (Sick Newborn Care Unit) के लिये 12 शैय्याओं हेतु आवश्यक उपकरणों की सूची पत्र के साथ संलग्न की जा रही है इस हेतु रू0 25.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उपकरणों के क्रय के विषय में **भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पेशिफिकेशन के अनुसार, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा उपलब्ध कराये गये रेट कॉन्ट्रैक्ट पर ही उपकरण क्रय किये जाने है। क्रय नियमों का कड़ाई से पालन किया जाये। क्रय किये जाने वाले उपकरणों की सूची संलग्न की जा रही है।**

- **संलग्न सूची में दिये गये अन्य छोटे मोटे उपकरणों जिनका रेट कान्ट्रेक्ट उपलब्ध नहीं है, उन उपकरणों को चिकित्सालय में उपलब्ध सामग्री से उपलब्ध कराया जाय या राजकीय क्रय नियमों के अनुसार क्रय किये जायें।**

4- **मानव संसाधन की व्यवस्था** हेतु भारत सरकार से अनुमोदनोपरान्त दिशा निर्देश एवं धनराशि पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

5- **वित्त पोषण**

5 नवीन "सिक न्यूबोर्न केयर इकाई" (Sick Newborn Care Unit) की स्थापना किये जाने हेतु FMR Code-A.2.2.1 "One time Establishment Cost per SNCU @12.00 Lacs" एवं FMR Code- *B16.1.2.2* "5 New SNCU Equipment & furniture=5 X2900000 = 145.00" के अनुसार प्रति इकाई 41.00 लाख की धनराशि जनपद के सम्मुख नीचे दी गयी तालिकानुसार जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त की जा रही है। धनराशि प्राप्त होते ही धनराशि शीघ्र प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका जिला महिला चिकित्सालय को स्थानान्तरित करने का कष्ट करें।

District wise Funds for Districts 5 New SNCU Supp-ROP 2015-16

S. N.	Name of Districts	Name of Unit	One time Establishment Cost per SNCU @12.00 Lacs	5 New SNCU Equipment & furniture=5 X2900000 = 145.00 Lakhs	Total Funds (Amount Rs.)	Total Funds To be released DHS (Rs. in Lacs)
FMR Code			*A.2.2.1*	*B16.1.2.2*		
1	Allahabad	Allahabad DWH	1200000	2900000	4100000	41.00
2	Jhansi	Jhansi DWH	1200000	2900000	4100000	41.00
3	Lucknow	Dr.Ram Manohar Lohia Hospital, Lucknow	1200000	2900000	4100000	82.00
4		Lokbandhu Raj Narayan Hospital, Lucknow	1200000	2900000	4100000	
5	Kanpur Nagar	MKCH &TRAUMA CENTRE Kanpur Nagar	1200000	2900000	4100000	41.00
Total funds Released to DHS (In Rs.)			60.00	145.00	205.00	205.00

नोटः—

- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
- स्वीकृत मद का पुर्निवियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाय साथ–साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये, कि स्तम्भ संख्या–2 में अंकित एक पूल की धनराशि किसी अन्य पूल में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसें लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का राजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण

करायें साथ ही सत्यापन भी नियमित रूप से सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें।

- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
- आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखा पुस्तकों की पृविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाय तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में पृविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
- व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी को निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
- किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये जिला महिला चिकित्सालय के मुख्य/प्रमुख अधीक्षिका एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
- प्रत्येक माह एस0एन0सी0यू0 से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
- जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।

6- कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट की क्रियाशीलता बनाये रखने के लिये उपकरणों का रख रखाव, विद्युत आपूर्ति एवं अर्थिगं महत्वपूर्ण है। विद्युत वायरिंग, अर्थिंग आदि मानक के अनुसार पूर्ण करने की जिम्मेदारी प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका जिला महिला चिकित्सालय की होगी। इस हेतु विभागीय इन्जीनियर का सहयोग लेकर सही कार्य कराना सुनिश्चित करें। अतः इसका विशेष ध्यान रखा जाये।

"सिक न्यूबोर्न केयर इकाई" (Sick Newborn Care Unit) हेतु निर्माण कार्य/स्थापना का कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, को स्थापना का कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र तत्काल उपलब्ध करायें ताकि क्रियाशील किये जाने के लिये अग्रिम कार्यवाही की जाय। इस सम्बन्ध में किसी अन्य जानकारी हेतु संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 एवं एस0पी0एम0यू0 के बाल स्वास्थ्य अनुभाग से सम्पर्क कर सकते है।

संलगन–यथोक्त

भवदीय,

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/SNCU / 36 / 2015–16 / 11915-4-9 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ, को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी जनपदों को दिशानिर्देश भेजने एवं एस0एन0सी0यू0 की स्थापना का अनुश्रवण करने का कष्ट करें।
3. सम्बन्धित, ज़िलाधिकारी / अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य सोसाइटी।
4. सम्बन्धित, मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
5. संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0 परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, डा0 राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय, गोमती नगर लखनऊ / लोकबन्धु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय कानपुर रोड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर सभी आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र कराना सुनिश्चित करें।
7. प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, मा0 कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय एवं ट्रामा सेन्टर **कानपुर नगर** / ज़िला महिला चिकित्सालय, **झांसी** एवं **इलाहाबाद** को इस अनुरोध के साथ कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर सभी आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र कराना सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित, मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
9. **ऑफीसर इन्चार्ज हेल्थ, यूनीसेफ,** बी–3 / 258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य